

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)
संख्या-31/2019/2509/सात-न्याय-2-2019-38जी/10
लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 34 सन् 2006) की धारा 36-क ख की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना संख्या-1193/सात- न्याय-2-2011-38जी/10, दिनांक 05 अगस्त, 2011 को अधिकांश करती हैं और प्रत्येक जिला के लिये सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तथा जहाँ ऐसा न्यायालय न हो, वहाँ वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 36-क ख की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अपराधों के विचारण के प्रयोजन के लिये उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर अभिहित करती हैं।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह-II)
प्रमुख सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-31/2019/2509(1)/सात-न्याय-2-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की एक अंग्रेजी की प्रमाणित प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उ०प्र० असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 25 नवम्बर, 2019 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 30 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-31/2019/2509(2)/सात-न्याय-2-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- निबंधक (जे०) (सेवाएं), मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्रांक-14977/मेन-बी, (एडमिन-ए-3), दिनांक 17.10.2019 के संदर्भ में।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव, गृह, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसासन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- समस्त जिलाधिकारी/पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 9- समस्त जिलाजज/जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
- 10- गृह (पुलिस) अनुभाग-9
- 11- विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12- नियुक्ति अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
- 13- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
NYAY ANUBHAG-2 (ADHINASTH NYAYALAY)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. -31/2019/2509/VII-Nyay-2-2019-38G/10, dated 25 November, 2019.

NOTIFICATION

No. - 31/2019/2509/VII-Nyay-2- 2019-38G/10
Lucknow: Dated: 25 November, 2019

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 36-AB of the Drugs and Cosmetics Act, 2006 (Act no.34 of 2006) the Governor, after consultation with the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to supersede the notification No-1193/Saat-Nyaya-2-2011-38G/10, dated 05 August, 2011 and designate the Seventh Additional District & Sessions Judge for each district and where there is no such court, the Court of the senior most Additional District and Sessions Judge of the district as a special court for the purpose of trial of offence, referred to under sub-section (1) of section 36-AB of the said Act, within the respective jurisdictions thereof.

By Order,

(Dinesh Kumar Singh-II)
Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।